बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

HO:BR:108:182

19th November 2016

CIRCULAR TO ALL BRANCHES/ OFFICES IN INDIA.

ISSUED BY
HR OPERATIONS, HO, BARODA

Dear Sir / Madam,

Re: Medical insurance Scheme for Retired Officers / Employees- Policy for the period 1-11-2015 to 31-10-2016- Rembursement of Domiciliary Expenses

We refer to above and write to inform that IBA Group Policy for retired employees was effective for the period 1-11-2015 to 31-10-2016. The insurance company has not been considering the payment of the domiciliary claims of the retired employees last year even though the original terms circulated provided for coverage of the domiciliary claims and on that basis, the premium was also collected from the retirees.

Bank was, therefore, in process of taking a sympathetic view in favour of the retirees in respect of the domiciliary claims.

We are pleased to inform that the issue of payment of domiciliary treatment claims for retired employees who are covered under the Medical Insurance Scheme for retired employees and who have paid premium for the policy period 01.11.2015 to 31.10.2016 was put upto the Board of Directors in its meeting held on 18th October'2016 and the same was approved by the Board.

Therefore, it has been decided to reimburse the domiciliary claims to the retirees from the Bank's side only pertaining to the policy period 01.11.2015 till 31.10.2016.

It is clarified that this reimbursement being made by the Bank is only on a humanitarian and sympathetic ground in order to provide relief to the retirees. This reimbursement is being made only for policy for the period 1-11-2015 to 31-10-2016.

There will be no liability or precedence for the Bank in this regard on account of the medical claims for either hospitalization or domiciliary expenses for the current year and onwards and the same shall rest only with the Insurance Company as per the new policy in vogue. However, Bank has also made provision for payment of subsidy of Rs. 3000/- towards the premium amount for the current year which also should provide relief to the retirees.

Bank will in due course initiate the process of payments of bills which are already held at HRCPC which were not reimbursed by Insurance Company.

Kindly bring contents of this circular to the retirees who have paid premium for the last year as also display a copy on notice board.

Yours faithfully,

(R N JANI)
Head- HR Operations

प्रधान कार्यालय : मानव संसाधन परिचालन, बड़ौदा हाउस, मांडवी, बड़ौदा - 390006 भारत
Head Office : HR Operations,Baroda House, Mandvi, Baroda -390006 INDIA
ई-मेल / E-mail - nps.ho@bankofbaroda.com Tel. :0265 2576404,417
pension.ho@bankofbaroda.com Tel. :0265 2576407 to 409
pf.ho@bankofbaroda.com Tel. :0265 2576411,412,414
gratuity.ho@bankofbaroda.com Tel. :0265 2576405-406
फेक्स/ Fax :0265 2576413

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

सं.एचओ:बीआर:108/182 दिनांक :19.11.2016

मानव संसाधन प्रबंधन प्रभाग
प्रधान कार्यालय, मांडवी, बड़ौदा द्वारा जारी

भारत स्थित सभी शाखाओं / कार्यालयों के लिए परिपत्र

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना – दि. 01.11.2015 से 31.10.2016 तक की अवधि के लिए पालिसी- घरेलू इलाज के व्यय की प्रतिपूर्ति

हम उपरोक्त का संदर्भ देते हैं और यह सूचित करते हैं कि सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए दि. 01.11.2015 से 31.10.2016 तक के लिए आईबीए ग्रुप पॉलिसी प्रभावी थी. यद्यपि परिचालित की ई गई मूल शर्तों में घरेलू चिकित्सा व्यय के लिए कवरेज की व्यवस्था थी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से तदनुरुप प्रिमियम भी एकत्र किया गया था, इसके बावजूद बीमा कंपनी ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के घरेलू चिकित्सा व्यय के दावों का भुगतान नहीं किया है.

अत: बैंक घरेलू चिकित्सा व्यय के दावों के संबंध में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पक्ष में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा था.

हम यह सहर्ष सूचित करते हैं कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिकित्सा बीमा योजना के अंतर्गत शामिल एवं जिन्होंने दि. 01.11.2015 से 31.10.2016 तक के लिए प्रिमियम का भुगतान किया था, उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के घरेलू चिकित्सा व्यय के भुगतान के मामले को निदेशक मंडल की दिनांक 18 अक्तूबर, 2016 को हुई बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया और निदेशक मंडल ने इसे अनुमोदित कर दिया है.

अत: ऐसा निर्णय लिया गया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दि. 01.11.2015 से 31.10.2016 तक की अवधि की पॉलिसी के लिए घरेलू चिकित्सा व्यय की बैंक की ओर से प्रतिपूर्ति की जाए.

यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक द्वारा की जा रही यह प्रतिपूर्ति केवल मानवीय एवं सहानुभूति के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत देने के उद्देश्य से की जा रही है. यह प्रतिपूर्ति केवल दि. 01.11.2015 से 31.10.2016 तक की अवधि की पॉलिसी के लिए की जा रही है.

इस संबंध में चालू वर्ष या आगे की अवधि के लिए चिकित्सा दावों के संबंध में, चाहे वह अस्पताल में भर्ती या घरेलू चिकित्सा संबंधी हो, बैंक की कोई देयता या प्राथमिकता नहीं होगी और मौजूदा लागू नयी पॉलिसी के अनुसार वह बीमा कंपनी की ही रहेगी. तथापि बैंक ने चालू वर्ष के लिए प्रिमियम के पेटे रु. 3000/- की सब्सिडी के भुगतान का प्रावधान किया है, जिससे भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत मिलेगी.

जिनकी प्रतिपूर्ति बीमा कंपनी ने नहीं की है, ऐसे एचआरसीपीसी के पास पडे हुए बिलों के भुगतान की प्रक्रिया बैंक यथा समय शुरु करेगा.

कृपया इस परिपत्र की विषय-वस्तु को जिन्होंने गत वर्ष प्रिमियम का भुगतान किया है उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के ध्यान में लायें और इसकी प्रति नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित करने की व्यवस्था करें.

भवदीय,

(आर एन जानी)
प्रमुख (मानव संसाधन परिचालन)

प्रधान कार्यालय : मानव संसाधन परिचालन, बड़ौदा हाउस, मांडवी, बड़ौदा – 390006 भारत
Head Office : HR Operations,Baroda House, Mandvi, Baroda -390006 INDIA
ई–मेल / E-mail - nps.ho@bankofbaroda.com Tel. :0265 2576404,417
pension.ho@bankofbaroda.com Tel. :0265 2576407 to 409
pf.ho@bankofbaroda.com Tel. :0265 2576411,412,414
gratuity.ho@bankofbaroda.com Tel. :0265 2576405-406
फैक्स/ Fax :0265 2576413